न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।

उपस्थितः–मोहम्मद रफी (एच०जे०एस०)

UPSD010037462016

Electricity Act/33/2016

सरकार-----------------------------------अभियोजक

बनाम

रामदुलारे हरिजन पुत्र शिवरतन निवासी ग्राम हसुडी, बढ़नी, जनपद–सिद्धार्थनगर।

---अभियुक्त

मु०अ०सं०---1187/2016

अन्तर्गत धारा–138 बी भा०वि०अधि०

थाना–ढेबरुआ

जनपद– सिद्धार्थनगर।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–152(2) भारतीय विद्युत अधिनियम

दिनांक–10.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से आदेश प्रत्रक पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया है कि राम दुलारे ने समस्त बकाया व प्रमाण पत्र संलग्न है। उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही को समाप्त करने की याचना की गयी है।

2. विद्युत अधिनियम की धारा–152(2) उपधारा–(1) में यह व्यवस्था की गयी है कि "धनराशि का संदाय होने पर, उस अपराध के सम्बन्ध में अभिरक्षा में कोई भी व्यक्ति मुक्त कर दिया जायेगा और किसी भी विचारण न्यायालय में उस उपभोक्ता अथवा व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही संस्थित अथवा जारी नहीं की जायेगी।"

3. सुना तथा पत्रावली एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, लि० सिद्धार्थनगर के द्वारा जारी पत्रांक 954 दिनांकित–27.02.2026 में यह कथन किया गया है कि श्री राम दुलारे पुत्र शिवबरन निवासी ग्राम

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.03.10 16:29:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हसुड़ी, बढ़नी जनपद सिद्धार्थनगर के विरूद्ध धारा–138(1) बी भा०वि०अधि० के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। आरोपित व्यक्ति के द्वारा संदर्भगत प्रकरण से संबंधित बकाया धनराशि जमा करने के उपरान्त समन शुल्क मु०–2000.00 व रसीद सं०–832411429735 दिनांक–26.02.2026 एवं राजस्व निर्धारण रु०–1234.00 रसीद सं०–832410697875 दिनांक–26.02.2026 को जमा किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में कोई बकाया नहीं है। अतः उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रकरण में विद्युत विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

5. उपरोक्त प्रपत्रों को सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता के द्वारा सत्यापित भी किया गया है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित सत्यापन आख्या में सन्दर्भगत प्रकरण में विद्युत विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने का कथन किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले में समान प्रकृति के किसी अन्य अपराध में भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त की किसी पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

6. उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अंतर्गत धारा–152(2) भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत प्रस्तुत मामले में अभियुक्त **राम दुलारे** के विरूद्ध उक्त प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–10.03.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर।
J.O. CODE – UP 6336